न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस **नम्बर 2021/188**

1. श्रीमती मधुलता शर्मा उर्फ मधु कुमारी पुत्री स्व. श्री हरिदत्त भार्मा पौत्री स्व0 श्री चन्द्रदत्त शर्मा पत्नी श्री गुरूदत्त भार्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी – 466, हाव की टोटी के सामने, सुभाश चौक, जयपुर लैटर ऑफ ऑथोरिटी श्री संतोश कुमार भार्मा पुत्र श्री नारायण जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी–सूर्या सदन, लड्डू वालों की बगीची, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर, राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 जिसके द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 475 व 1807 को निरस्त किये गये के खिलाफ निरस्त अपील के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अरविन्द कुमार पारीक
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –29.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा निरस्त किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया श्रीमती मधुलता शर्मा उर्फ मधु कुमारी पुत्री स्व. श्री हरिदत्त शर्मा पौत्री स्व0 श्री चन्द्रदत्त शर्मा पत्नी गुरूदत्त शर्मा द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां अपील की। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 द्वारा अपील अपीलांट धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्णित प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार तहसील अलवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 475 व 1807 दिनांक 06.02.2018 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी श्रीमती मधुलता शर्मा उर्फ मधु कुमारी पुत्री स्व. श्री हरिदत्त शर्मा पौत्री स्व0 श्री चन्द्रदत्त शर्मा पत्नी गुरूदत्त शर्मा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा निरस्त किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि ग्राम कलसाडा व नंगली झामावत में क्रमशः खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.73 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम कलसान में खसरा नम्बर 1960 व खसरा नम्बर 1313 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमियां स्थित है जिनके खातेदार स्व. श्री हरदत्त पुत्र श्री चन्द्रदत्त थे जिनका उक्त दोनों भूमियों में 1/12–1/12 हिस्सा स्थित है, वे खातेदार थे तथा उनकी मृत्यु लगभग आज से 15 साल पूर्व गई, परन्तु घर से जाने के बाद किसी को यह पता नहीं लगा कि वे कहाँ गये और उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई है। उपरोक्त प्रकार से प्रार्थीया स्व. श्री हरदत्त जी की एकमात्र पुत्री उनकी वारिस असल मौजूद है। प्रार्थीया ने उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कानूनी सलाह के आधार पर एक मृतक हरदत्त जी मृत्यु को सिविल डेथ घोषणा के लिए एक दावा सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया और जिस पर दिनांक 09.10.2012 को उनकी सिविल डेथ घोषणा के लिए एक दावा सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया और जिस पर दिनांक 09.10.2012 को उनकी सिविल डेथ माननीय न्यायालय सिविल द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री से घोषित की गई। प्रार्थीया ने कानूनी सलाह के आधार एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसको मात्र उन्होंने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह राजस्व मामला है और इसमें राजस्व न्यायालयय तहसीलदार जी आदि तहकीकात कर राजस्व नियमों के तहत सक्से ान जारी करने व नामान्तकरण खोलने के लिए सक्षम है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यद्यपि प्रार्थीया ने माननीय सिविल जज के उपरोक्त आदेश दिनांक 09.09.2016 के खिलाफ आगे रिट कार्यवाही कर दी है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के पश्चात प्रार्थीया ने नामान्तकरण हेतु श्रीमान स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष दोनों जगह कलसाडा व नंगली झामावत की भूमि के नामान्तकरण प्रार्थीया के हक में खोले जाने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत कर दिया, परन्तु माननीय ग्राम पंचायत ने कैम्प में बजाए नामान्तकरण खोले जाने के या कार्यवाही करने के उक्त नामान्तकरण को श्रीमान तहसीलदार जी को रेफर कर दिया, जिस पर तहसीलदार जी ने जॉच रिपोर्ट ली, परन्तु प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभिस्वीकृति पत्र, शपथ–पत्र आदि को बिना देखे ही अपने आदेश दिनांक 06.02.2018 को खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश दिनांक 06.02.2018 के खिलाफ प्रथम अपील माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 प्रस्तुत की गई और उनके समक्ष दौराने बहस 2018(1) आर आर टी 359 – राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय पेश भी किया गया, परन्तु इन्होंने उस पर कतई गौर नहीं किया और अपील को श्रीमान संभागीय आयुक्त जी द्वारा धारण किये जाने योग्य मानते हुए तथा सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 09.09.2016 के आधार पर अपील खारिज कर दी। आदेश एवं निर्णय ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार मालाखेडा तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम क्रमशः दिनांक 20.04.2017, 06.02.2018 एवं दिनांक 07.04.2021 सरासर कतई गैर कानूनी, आधारहीन एवं तथ्यों के विपरित तथा क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि नामान्तकरण की कार्यवाही में कोई भी विपक्षी क्लेमकर्ता हाजिर नहीं हुआ था और उनके समक्ष नामान्तकरण हर स्थिति में धारा 135(1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निर्विवाद एवं स्वीकार योग्य था। हॉ यह जरूर है कि नामान्तकरण की कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत को कानूनन राज्य सरकार के नोटिफिकेशनों द्वारा 45 दिन का समय दिया गया है, यदि उस अवधि में वह नामान्तकरण कार्यवाही करने में असफल रहते हैं तो उक्त कार्यवाही के समस्त कागजात तहसीलदार जी को प्रतिप्रेषित कर देनी चाहिए। तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम ने भी गलत तौर पर सिविल कोर्ट और उसी प्रकार पंचायत के नामान्तकरण को गलत तरीके से समझा है। चूंकि ग्राम पंचायत को तो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

45 दिन की अवधि के बाद नामान्तकरण को तहसीलदार को भेजना ही था, परन्तु तहसीलदार को उक्त नामान्तकरण प्राप्त होते ही प्रार्थिया को गवाह आदि का समय दिया जाना चाहिए था और उसके द्वारा प्रस्तुत अभिस्वीकृति पत्र, भापथ पत्र आदि की जांच करनी चाहिए थी, परन्तु उन्होंने ग्राम पंचायत एवं सिविल कोर्ट के आदेश दिनांक 09.09.2016 को गलत पठन किया और गलत कानूनी स्थिति का वर्णन किया और जो आदेश दिनांक 06.02.2018 को पारित किया है वह सरासर उपरोक्त प्रकार से गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। चूंकि सिविल कोर्ट में मात्र अधिकारियों के द्वारा जांच करने के अधिकार के कारण से ही सक्सेशन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं माना। माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी प्रकार का अपना मस्तिश्क लगाये एवं कानूनी व्याख्या को ध्यान में दिये ही गलत तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 पारित किया है। चूंकि सिविल कोर्ट का आदेश दिनांक 09.09.2016 किसी भी प्रकार से रेस–ज्यूडिकेटा की तारीफ में नहीं आता, ना ही उसने उत्तराधिकारी माननीय से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को अपने स्तर पर इस संदर्भ में वारिस की उचित जांच की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई, न ही उपरोक्त प्रकार के निर्देश किसी भी प्रकार से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिये, जो कि सरासर उनका आदेश दिनांक 07.04.2021 सरासर गैर कानूनी है और निरस्तनीय है। प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पश्ट है कि श्री हरदत्त जी की सिविल मृत्यु माननीय न्यायालय द्वारा घोशित कर दी गई और उसके प चात कोई भी अन्य विवादित पक्ष न तो ग्राम पंचायत के सामने था, ना ही श्रीमान तहसीलदार जी के सामने था और ना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष था। जबकि यह तथ्य निर्विवाद सत्य है कि माननीय सिविल न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2012 द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट को स्व. श्री हरदत्त जी की मृत्यु को घोषित करने के लिए योग्य माना और केवल इसी आधार पर यह बात समस्त अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट थी कि मधुलता अपीलार्थीया के अलावा स्व. श्री हरदत्त जी का अन्य कोई वारिस जीवित नही है। इस प्रकार तीनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत रूप से नामान्तकरण संख्या 1807 व 475 को गैर कानूनी आधारों पर खारिज किया है, जो कि स्पष्ट रूप से स्वीकार होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि यदि स्व. श्री हरदत्त जी के कोई वारिस नहीं था तो उनकी सम्पत्ति नाओलाद घोशित की जानी चाहिए और एसचीट एक्ट के तहत कार्यवाही करते। परन्तु किसी भी प्रकार से इस बात का कोई भी उल्लेख किसी भी न्यायालय के आदेश में नहीं है, इसलिए वैकल्पिक और अन्तिम रूप से केवल अपीलार्थीया ही स्व. श्री हरदत्त जी की उत्तराधिकारी थी और उसे ही उनका वारिस मानकर नामान्तरकरण उसके नाम खोला जाना चाहिए था। यहां यह भी वर्णन आवश्यक है कि कोविड–19 के कारण से इस प्रकरण में अपीलार्थीया स्त्री जात होने के कारण से आकर अपील आदि की कार्यवाही नहीं कर सकी, इसलिए इस संदर्भ में मियाद के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपने क्षेत्राधिकार व विवेकाधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग किये जाने के कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा निरस्त किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 को खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा निरस्त किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 निरस्त, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद ग्राम कलसाडा व नंगली झामावत में क्रमशः खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.73 हैक्टेयर कुल किता 3 कलु रकबा 1.39 हैक्टेयर स्थित है तथा इसी प्रकार ग्राम कलसान में खसरा नम्बर 1960 व खसरा नम्बर 1313 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमियां स्थित हैं। जिनके खातेदार स्व. श्री हरदत्त पुत्र चन्द्रदत्त थे, जिनका उक्त दोनों भूमियों में 1/12–1/12 हिस्सा स्थित है, वे खातेदार थे तथा उनकी मृत्यु लगभग 15 साल पूर्व हो गई। मृतक हरदत्त जी की मृत्यु को सिविल डेथ घोषणा के लिए एक दावा सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया और जिस पर दिनांक 09.10.2012 को उनकी सिविल डेथ सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री से घोषित की गई है। अपीलार्थी द्वारा एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एक प्रार्थना पत्र माननीय जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इस आधार पर खारिज कर दिया किय यह राजस्व मामला है और इसमें राजस्व न्यायालय तहसीलदार जी आदि तहकीकात कर राजस्व नियमों के तहत सक्सेशन जारी करने व नामान्तकरण खोलने के लिए सक्षम है। ग्राम कलसाडा व नंगली झामावत में हल्का पटवारी द्वारा खातेदार हरदत्त पुत्र चन्द्रदत्त की विरासत का नामान्तरकरण क्रमशः 1807 व 475 मधुलता पुत्री हरदत्त के नाम दर्ज कर उक्त नामान्तरकरण निर्णय हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत में दिनां 5.4.17 व 20.4.17 को प्रस्तुत किया गया किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय नहीं किये जाने पर निर्णय हेतु तहसीलदार मालाखेडा में प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार मालाखेडा ने मधुलता शर्मा बनाम राजस्थान सरकार की पत्रावली रिट पिटीशन नं. 38/06/13 में तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के बिन्दु 4 में मृतक हरदत्त की कपित लडकी का नाम क्या है ? कहां है ? उसकी जानकारी नहीं हो पाई दर्ज है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 31.7.14 में भी हरदत्त के वारिसों व उत्तराधिकार की जानकारी नहीं होना बताया है। उपरोक्त वाद के निर्णय दिनांक 9.9.2016 में जिला न्यायाधीश अलवर द्वारा प्रार्थीया मधुलता शर्मा का उत्तराधिकरी होने का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया है एवं उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से प्रकरण 135 (2) में दर्ज प्रकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में खारिज किया गया है। उक्त निर्णय की अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 07.04.2021 से अपील अपीलांट धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्णित प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण खारिज की गयी है। हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार मालाखेडा ने रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, अलवर के दिवानी वाद संख्या उनवानी श्रीमती मधुलता बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 09.10.2012 द्वारा अपीलार्थी के पिता हरदत्त पुत्र चंद्रदत्त मिश्रा की सिविल मृत्यु होने के आधार पर हरदत्त को मृत घोषित किया गया है तथा एवं सरपंच ग्राम पंचायत कलसाडा जारी चन्द्रशर्मा का सजरा प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया है, ना ही समस्त ग्राम वासीयान के मेजरनामा का अवलोकन किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों से जाहिर था कि श्रीमती मधुलता शर्मा धर्मपत्नी श्री गुरूदत्त शर्मा पुत्री श्री हरदत्त शर्मा पुत्र श्री चन्द्रदत्त शर्मा जो कि हरदत्त की जायन्दा पुत्री है, जबकि अपीलान्ट हरदत्त की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिस है। और अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील मालाखेडा ने अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये मृतक खातेदार हरदत्त की जायन्दा पुत्री अपीलान्ट श्रीमती मधुलता शर्मा उर्फ मधु कुमारी पुत्री स्व. श्री हरिदत्त शर्मा के अधिकारों की अनदेखी की है जबकि अपीलान्ट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में रामसहाय की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालाखेडा के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा निरस्त किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः–अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाडा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तहसील मालाखेडा जिला अलवर निरस्त किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर–प्रथम, अलवर (राज.) दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कलसाडा व नंगली झामावत में क्रमशः खसरा नम्बर 12 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.73 हैक्टेयर तथा ग्राम कलसान में खसरा नम्बर 1960 व खसरा नम्बर 1313 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमियां जिनके खातेदार स्व. श्री हरदत्त पुत्र श्री चन्द्रदत्त थे, उक्त दोनों भूमियों में 1/12–1/12 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।